भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1382
(04.12.2024 को उत्तर के लिए)

सिविल सेवकों का क्षमता निर्माण

1382. डॉ. हेमंत विष्णु सवरा :
श्रीमती स्मिता उदय वाघ :
श्री विजय बघेल :
श्री बिभु प्रसाद तराई :
श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में सिविल सेवकों के क्षमता निर्माण के लिए विभिन्न देशों के साथ हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापनों (एमओयू) का ब्यौरा क्या है;
(ख) वर्ष 2029 तक कुल कितने सिविल सेवकों को प्रशिक्षित किए जाने की संभावना है; और
(ग) देश के शासन में सेवा प्रदायगी में सुधार लाने और नवोन्मेष को बढ़ावा देने में क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की क्या भूमिका है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री एवं प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ.जितेन्द्र सिंह)

(क) से (ग): प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी), कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) जो डीएआरपीजी के तहत एक स्वायत्त सोसायटी है, के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय सिविल सेवकों के लिए क्षमता विकास प्रशिक्षण आयोजित करता है। डीएआरपीजी/एनसीजीजी ने लोक प्रशासन, लोक नीति और शासन सुधार के क्षेत्र में यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, पुर्तगाल, सिंगापुर, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, कंबोडिया, गाम्बिया, मालदीव और मलेशिया के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापनों के सहयोग के क्षेत्रों में, भारत में अंतरराष्ट्रीय सिविल सेवकों

का क्षमता विकास शामिल है। वर्ष 2014-2024 की अवधि में, 32 देशों के 4,500 से अधिक अंतरराष्ट्रीय सिविल सेवकों ने लोक नीति और शासन पर मिड-करियर क्षमता विकास कार्यक्रम (बहु-देशीय कार्यक्रम सहित) के लिए एनसीजीजी से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। वर्ष 2029 तक प्रशिक्षित किए जाने वाले सिविल सेवकों की कुल संख्या, मौजूदा समझौता ज्ञापनों और अन्य द्विपक्षीय व्यवस्थाओं के तहत, साझेदार देशों के अनुरोध/अपेक्षाओं पर निर्भर करती है।

अंतरराष्ट्रीय सिविल सेवकों के लिए क्षमता विकास कार्यक्रम, भारत सरकार के शासन की सर्वश्रेष्ठ परिपाटियों और नवाचार पर केंद्रित है, जिससे विदेशों में भारत के सुशासन मॉडल का प्रसार और अनुकरण संभव हो सके। कक्षा सत्रों में सिखाए जा रहे भारत के शासन मॉडल के मुख्य क्षेत्रों में शामिल हैं- विज़न इंडिया @ 2047, शासन में नए प्रतिमान, लोक शिकायतों का प्रभावी निवारण, आधार, पीएम गति शक्ति, आपदा प्रबंधन परिपाटियां, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, ब्लू इकॉनमी, स्वामित्व योजना आदि। अंतरराष्ट्रीय सिविल सेवक, दिल्ली मेट्रो, यूपीएससी, भारतीय चुनाव आयोग, अंतरराष्ट्रीय सोलर एलाएंस, जिला प्रशासन आदि से भी जुड़े हुए हैं। अंतरराष्ट्रीय सिविल सेवक, कार्यक्रम से अर्जित अपने विशिष्ट ज्ञान और सहयोग के भावी क्षेत्रों के संबंध में सामूहिक कार्य परियोजनाओं का आयोजन भी करते हैं।

*****